

सुधारपत्र क्रमांक ८२ दिनांक १६ / ०९ / २०१९

(म.रा.वि.वि.कं.मर्या., वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियम-२००५)

विषय : सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारीत बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.

संदर्भ : १) सुधारपत्र क्र. ७८ दि. २१.०९.२०१९
२) सुधारपत्र क्र. ७९ दि. १६.०३.२०१९

आरक्षण कायदा-२००४ नुसार मागासवर्गीयांच्या शासकीय सेवेतील आरक्षणांच्या आदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी शासन निर्णय परिपत्रकांमध्ये सूचना/तरतुदी निर्गमित केल्या आहेत.

२. महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२, दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८ (सन २०१८) अनुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ येथे नमूद केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२) अन्वये "सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग" निर्माण करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.५८१ ए/२०१८/१६-ब दि. ०५.१२.२०१८ अन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता १६% आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी विहित केलेली बिंदुनामावली, म.रा.वि.वि.कं.मर्या., वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियमाचे सुधारपत्र क्र. ७८ दि. २१.०९.२०१९ अन्वये अंगीकृत केली होती.

३. परंतु, शासन निर्णय व उक्त अधिनियमाच्या विधिग्राहयतेला मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका क्र. १७५/२०१८ अन्वये आव्हान देण्यात आले होते. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २७.०६.२०१९ उक्त प्रकरणातील न्यायनिर्णय दिला आहे, त्याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या उक्त तरतुदींद्वारे विहित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणाची मर्यादा वगळून उक्त अधिनियमाची विधिग्राहयता कायम ठेवण्यात आली आहे.

४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी, पूर्वी तरतूद करण्यात आलेले १६% आरक्षण रद्दबातल करून, सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाकरीता सरळसेवा प्रवेशांमध्ये एकूण १३% (तेरा टक्के) आरक्षण निश्चीत केले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ए/१६-ब दि. ०४.०७.२०१९ अन्वये सरळसेवा प्रवेशाकरीता सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता १३% आरक्षणाची तरतूद करून, सुधारीत बिंदुनामावली विहित केलेली आहे.

५. आता, संचालक मंडळ यांनी टराव क्र. १८३७ दि. ०३.०८.२०१९ अन्वये कंपनीमध्ये सरळसेवा प्रवेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर १३% पदे राखीव ठेवण्याकरीता मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

६. या अनुषंगाने म.रा.वि.वि.कं.मर्या., वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियम -२००५ चे सुधारपत्र क्र. ७८ दि. २१.०९.२०१९ (एसईबीसी) व सुधारपत्र क्र. ७९ दि. १६.०३.२०१९ (ईडब्ल्यूएस) अधिक्रमित करण्यात येवून, म.रा.वि.वि.कं.मर्या., वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियम - २००५ शी संलग्न परिशिष्ट 'क' मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. परिशिष्ट 'क' मधील संबंधित सुधारीत तरतुदी पुढीलप्रमाणे राहतील.

एक] आरक्षणाची रचना -

विद्यमान आदेशानुसार मागासवर्गात पुढील गटांचा समावेश आहे : [१] अनुसूचित जाती आणि बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्ती, [२] अनुसूचित जमाती [विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या अशा जमातींसह], [३] विमुक्त जाती - अ, [४] भटक्या जमाती - ब, [५] भटक्या जमाती - क, [६] भटक्या जमाती - ड, [७] विशेष मागास प्रवर्ग आणि [८] इतर मागासवर्ग. महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गांच्या गटवारीत सुधारणा करून त्यात पुढील गटांचा समावेश केला आहे.

| | |
|-------|---|
| [एक] | अनुसूचित जाती आणि बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्ती ; |
| [दोन] | अनुसूचित जमाती [विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या अशा जमातींसह] ; |
| [तीन] | विमुक्त जाती - अ ; |
| [चार] | भटक्या जमाती - ब ; |
| [पाच] | भटक्या जमाती - क ; |
| [सहा] | भटक्या जमाती - ड ; |
| [सात] | विशेष मागास प्रवर्ग ; |
| [आठ] | इतर मागासवर्ग ; |
| [नऊ] | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी). |
| [दहा] | खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस). |

दोन] पदे राखून ठेवणे -

मागासवर्गीयांसाठी पदे राखून ठेवण्याबाबतच्या विद्यमान आदेशांमध्ये सुधारणा करून प्रत्येक रिक्त होणाऱ्या पदांमधील जी पदे थेट सेवाप्रवेशाद्वारे भरण्यात येतात त्या पदांपैकी पुढील टक्क्यांइतकी पदे मागासवर्गांच्या प्रत्येक गटातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात यावीत :-

| | | |
|------|---|------|
| [१] | अनुसूचित जाती आणि बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्ती | १३% |
| [२] | अनुसूचित जमाती [विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या अशा जमातींसह] | ७% |
| [३] | विमुक्त जाती - अ | ३% |
| [४] | भटक्या जमाती - ब | २.५% |
| [५] | भटक्या जमाती - क | ३.५% |
| [६] | भटक्या जमाती - ड | २% |
| [७] | विशेष मागास प्रवर्ग | २% |
| [८] | इतर मागासवर्ग | १९% |
| [९] | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) | १३% |
| [१०] | खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | १०% |
| एकूण | | ७५% |

ही टक्केवारी मागासवर्गातील व्यक्तींच्या नियुक्तीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त पदांची किमान टक्केवारी आहे.

सहा] मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित केलेली पदे निर्दिष्ट करून त्यांची नमुनेवजा बिंदू नामावली (Model Roster) ठेवणे -

६. सरळसेवा भरतीकरीता शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब दि. ०४.०७.२०१९ नुसार विहित केलेली १०० बिंदू नामावली वापरण्यात यावी. (सोबतचे जोडपत्र 'I' पहावे)

सतरा] बिनराखीव पदांवर मागासवर्गीयांचा सेवाप्रवेश -

पुढे नमूद केलेल्या ९ मागासवर्ग प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे करण्यात आली असेल अशांना बिनराखीव पदांपोटी सेवाप्रवेश देण्यात आला आहे असे समजण्यात यावे. त्याशिवाय, खालील निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे ६५ टक्के पदेसुद्धा त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात यावीत. मात्र, वरीलप्रमाणे गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात आलेले उमेदवार आणि ६५ टक्के पदांवर नियुक्त केलेले उमेदवार या दोहोंची एकूण संख्या कोणत्याही एका सेवाप्रवेश प्रसंगी भरावयाच्या एकूण रिक्त पदांच्या संख्येच्या ६५ टक्क्यांहून अधिक होऊ नये. या ६५ टक्के मर्यादेत पुढे हिशेबात घेण्यासाठी मागील राखीव रिक्त पदे असल्यास, त्यांचाही समावेश होतो.

| | | |
|------|---|------|
| [१] | अनुसूचित जाती आणि बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्ती | १३% |
| [२] | अनुसूचित जमाती [विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहाणाऱ्या अशा जमातींसह] | ७% |
| [३] | विमुक्त जाती - अ | ३% |
| [४] | भटक्या जमाती - ब | २.५% |
| [५] | भटक्या जमाती - क | ३.५% |
| [६] | भटक्या जमाती - ड | २% |
| [७] | विशेष मागास प्रवर्ग | २% |
| [८] | इतर मागासवर्ग | १९% |
| [९] | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) | १३% |
| एकूण | | ६५% |

जेव्हा निवडीचा दर्जा शिथिल करून उमेदवारांना राखीव पदांवर सेवाप्रवेश द्यावयाचा असतो तेव्हाच फक्त ही ६५ टक्क्यांची मर्यादा लागू होते. मागासवर्गातील उमेदवारांची निवड गुणवत्तेवर झालेली असेल तर त्यांना विहित टक्केवारीपेक्षा अधिक संख्येत नियुक्त करण्याचे स्वातंत्र्य नियुक्ती अधिकाऱ्याला असेल.

७. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाकरीता १३% आरक्षण हे दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८ पासून तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे १०% आरक्षण हे दि. ०१ फेब्रुवारी, २०१९ पासून अंमलात येईल.

८. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरळसेवा भरतीबाबत विहित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब प्रशासकीय परिपत्रक क्र. ५८९ दि. १६.०९.२०१९ मधील सूचनेनुसार करण्यात यावा.


९. सदर सुधारपत्र कंपनीच्या Employee Portal/ e-Library वर उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

सोबत : जोडपत्र - 'I'

(कमांडर शिवाजी इंदलकर)(से.नि.)
मुख्य महाव्यवस्थापक (मासं)


जोडपत्र-1 : सरळसेवा १०० बिंदूनामावली

| बिंदू क्र. | प्रवर्ग | बिंदू क्र. | प्रवर्ग | बिंदू क्र. | प्रवर्ग |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| १ | अनुसूचित जाती | ३५ | इतर मागास वर्ग | ६९ | इतर मागास वर्ग |
| २ | अनुसूचित जमाती | ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७० | खुला |
| ३ | विमुक्त जाती (अ) | ३७ | अनुसूचित जाती | ७१ | अनुसूचित जमाती |
| ४ | भटक्या जमाती (ब) | ३८ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ७२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग |
| ५ | इतर मागास वर्ग | ३९ | इतर मागास वर्ग | ७३ | अनुसूचित जाती |
| ६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४० | खुला | ७४ | खुला |
| ७ | भटक्या जमाती (क) | ४१ | विमुक्त जाती (अ) | ७५ | इतर मागास वर्ग |
| ८ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७६ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक |
| ९ | इतर मागास वर्ग | ४३ | अनुसूचित जाती | ७७ | भटक्या जमाती (ड) |
| १० | खुला | ४४ | खुला | ७८ | खुला |
| ११ | भटक्या जमाती (ड) | ४५ | इतर मागास वर्ग | ७९ | इतर मागास वर्ग |
| १२ | अनुसूचित जाती | ४६ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग |
| १३ | खुला | ४७ | भटक्या जमाती (ब) | ८१ | अनुसूचित जाती |
| १४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४८ | खुला | ८२ | खुला |
| १५ | विशेष मागास प्रवर्ग | ४९ | इतर मागास प्रवर्ग | ८३ | विमुक्त जाती (अ) |
| १६ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ५० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ८४ | खुला |
| १७ | इतर मागास वर्ग | ५१ | अनुसूचित जाती | ८५ | इतर मागास वर्ग |
| १८ | खुला | ५२ | खुला | ८६ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक |
| १९ | इतर मागास वर्ग | ५३ | अनुसूचित जमाती | ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग |
| २० | खुला | ५४ | खुला | ८८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग |
| २१ | अनुसूचित जाती | ५५ | इतर मागास वर्ग | ८९ | इतर मागास वर्ग |
| २२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ५६ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ९० | खुला |
| २३ | अनुसूचित जमाती | ५७ | भटक्या जमाती (क) | ९१ | अनुसूचित जाती |
| २४ | खुला | ५८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ९२ | खुला |
| २५ | इतर मागास वर्ग | ५९ | इतर मागास वर्ग | ९३ | अनुसूचित जमाती |
| २६ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | ६० | खुला | ९४ | खुला |
| २७ | अनुसूचित जाती | ६१ | अनुसूचित जाती | ९५ | इतर मागास वर्ग |
| २८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ६२ | खुला | ९६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग |
| २९ | इतर मागास वर्ग | ६३ | अनुसूचित जमाती | ९७ | अनुसूचित जाती |
| ३० | खुला | ६४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ९८ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक |
| ३१ | भटक्या जमाती (क) | ६५ | इतर मागास वर्ग | ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) |
| ३२ | खुला | ६६ | खुला | १०० | खुला |
| ३३ | अनुसूचित जमाती | ६७ | अनुसूचित जाती | | |
| ३४ | खुला | ६८ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | | |


 (कमांडर शिवाजी इंदलकर)(से.नि.)
 मुख्य महाव्यवस्थापक (मास)

प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु

| अनुक्रमांक | प्रवर्ग | आरक्षणाची टक्केवारी | बिंदु क्रमांक |
|------------|---------------------------------|---------------------|--|
| १ | अनुसूचित जाती | १३% | १, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१, ९७ |
| २ | अनुसूचित जमाती | ७% | २, २३, ३३, ५३, ६३, ७१, ९३ |
| ३ | विमुक्त जाती (अ) | ३% | ३, ४१, ८३ |
| ४ | भटक्या जमाती (ब) | २.५% | ४, ४७ |
| ५ | भटक्या जमाती (क) | ३.५% | ७, ३१, ५७ |
| ६ | भटक्या जमाती (ड) | २% | ११, ७७ |
| ७ | विशेष मागास प्रवर्ग | २% | १५, ८७ |
| ८ | इतर मागास प्रवर्ग | १९% | ५, ९, १७, १९, २५, २९, ३५, ३९, ४५, ४९, ५५, ५९, ६५, ६९, ७५, ७९, ८५, ८९, ९५ |
| ९ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | १३% | ६, १४, २२, २८, ३६, ४२, ५०, ५८, ६४, ७२, ८०, ८८, ९६ |
| १० | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक | १०% | ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ |
| ११ | खुला | २५% | १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ४०, ४४, ४८, ५२, ५४, ६०, ६२, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, ९०, ९२, ९४, १००. |


 (कमांडर शिवाजी इंदलकर)(से.नि.)
 मुख्य महाव्यवस्थापक (मासं)